न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर

पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती शकुन्तला, आर.ए.एस.

प्र.सं. 13/2024
जीसीएमएस नं. : 2024/185
1. ताराचन्द पुत्र रामकिशन जाति ओड निवासी अलीपुर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राज.

—वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर

—प्रतिवादी

अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्त.अधि.
एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :—

1. श्री गुरविन्द्र सिंह क्वात्रा, अधिवक्ता वादी
2. राजपैरोकार

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 16/12/2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि —

1. वादी ने जरिए अधिवक्ता वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 6 एएस तहसील श्रीविजयनगर के मु.नं. 106 प.नं. 177/455 का 6.325है. भूमि वादी के पिता रामकिशन पुत्र कालाराम जाति ओड के नाम से आवंटित है एवं वर्तमान जमाबन्दी में उनके नाम से ही दर्ज रिकार्ड है। पिता का नाम रामकिशन एवं दादा का नाम कालाराम व जाति ओड है एवं वर्णित भूमि वादी के पिता को निर्णय दिनांक 20.04.1974 के द्वारा आवंटित हुई है। पिता को भूमि आवंटित होने के समय जो आवंटन आदेश जारी किया गया है उसमें आवंटी का नाम रामकिशन पुत्र कालाराम जाति ओड अंकित है जोकि वास्तविक व सही नाम व जाति है किन्तु आदेश का अमल दरामद राजस्व रिकार्ड में किये जाने के समय सहवन से राजस्व कर्मचारी के द्वारा वादी के दादा का नाम कालाराम के स्थान पर कानाराम व जाति ओड के स्थान पर अरोडा अंकित कर दी गई जो कि बाद में जमाबन्दी बनने पर जमाबन्दी में रामकिशन पुत्र कानाराम जाति अरोड़ा निवासी अलिपुरा दर्ज हो गया है जोकि उक्त भूमि गैर खातेदारी दर्ज चली आ रही है। वादी के द्वारा अर्सा करीब 6 माह पूर्व उक्त भूमि की खातेदारी हेतु चाराजोही किये जाने पर पटवारी हल्का से सम्पर्क किया व रिकार्ड की जांच की तो पता चला कि राजस्व रिकार्ड में वादी के दादा का नाम कालाराम के स्थान पर कानाराम व जाति ओड के स्थान पर अरोडा अंकित कर दी गई है जिस पर उक्त तथ्यों की जानकारी होने पर वादी ने इस बात बाबत चाराजोही तहसीलदार श्रीविजयनगर के समक्ष करने पर प्रारम्भ में आश्वासन देते रहे कि उक्त त्रुटि को दुरूस्त कर देगे किन्तु इस बाबत कोई कार्यवाही नहीं गई वादी को बार बार इस बाबत निवेदन करने पर अर्सा करीब 10 रोज पूर्व माननीय न्यायालय में चाराजोही करने का कहते हुए उक्त त्रुटि को दुरूस्त करने से प्रतिवादी के द्वारा इन्कार कर दिया गया बस यही दावा पेश करने का बाद कारण है। दस्तावेज पहचान बाबत आधार कार्ड, तहसीलदार के द्वारा जारी पहचान कार्ड में दादा का नाम कालाराम व जाति ओड अंकित है मात्र राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के समय संहवन से नाम कालाराम के स्थान पर कानाराम व जाति ओड के स्थान पर अरोडा अंकित कर दी गई है जिसे वादी दुरूस्त करवाने व उक्त भूमि का रामकिशन पुत्र कालाराम जाति ओड को आवंटि खातेदार घोषित करवाने का विधिक अधिकारी है। वाद पत्र स्वीकार डिक्री

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2026.01.20 18:37:47 IST
Reason: SelfAttested

करने हेतु निवेदन किया कि चक 6 एएस तहसील श्रीविजयनगर मु.नं. 106 प.नं. 177/455 कुल 6.325है. भूमि का रामकिशन पुत्र कालाराम जाति ओड आवंटी खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में जरिये दुरूस्ती उक्त भूमि के रिकार्ड में कानाराम के स्थान पर कालाराम व जाति अरोडा के स्थान पर ओड अंकित करते हुए भूमि रामकिशन पुत्र कालाराम जाति ओड के नाम से दर्ज किये जाने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया। राजपैरोकार राज्य हित को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित करने के लिए निवेदन किया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलव किया गया। प्रतिवादी की ओर से राजपैरोकार उपस्थित होकर जवाव सरकार पेश किया। तहसीलदार श्रीविजयनगर से वाद पत्र के संवंध में जांच रिपोर्ट तलव की गई जो कि तहसीलदार श्रीविजयनगर के पत्रांक/भू.अ./2025/1143 दिनांक 28.03.2025 के प्राप्त हुई। तनकीयात कायम की गई जो इस प्रकार से है :–

   1. आया कि वादी विवादित भूमि चक 6 एएस तहसील श्रीविजयनगर मु.नं. 106 प.नं. 177/455 कुल 6.325है. भूमि पर रामकिशन पुत्र कालाराम जाति ओड को आवंटी खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में जरिये दुरूस्ती उक्त भूमि के रिकार्ड में कानाराम के स्थान पर कालाराम व जाति अरोडा के स्थान पर ओड अंकित करते हुए भूमि रामकिशन पुत्र कालाराम जाति ओड के नाम से दर्ज करवाने का अधिकारी है ? — वादी
   2. अनुतोष, न्यायालय की आज्ञा से।

3. साक्ष्य में वादी की ओर से शपथ पत्र ताराचन्द पुत्र रामकिशन का पेश हुआ। शपथ पत्र पर दस्तावेज प्रदर्श किये एवं ब्यान दर्ज किये गये। बहस वकील वादी सुनी गयी। वकील वादी अपनी बहस में कथन किया कि वादी के पिता को विवादित भूमि आवंटित हुई थी। आवंटन आदेश में नाम रामकिशन पुत्र कालाराम जाति ओड अंकित है परन्तु राजस्व रिकार्ड जमावंदी में नाम राकिशन पुत्र कानाराम जाति अरोडा हो गया है, जिसकी दुरूस्ती की जानी अत्यंत आवश्यक है। विवादित भूमि पर वादी के पिता के नाम की दुरूस्ती करते हुए खातेदारी अधिकारों की घोषणा किये जाने की डिक्री पारित करने हेतु निवेदन किया।

4. बहस वकील वादी पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि प्रकरण में वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष ही एकमात्र वाद बिन्दू है जिसके आधार पर अनुतोष के संबंध में निर्णय होना है, ऐसी स्थिति में दोनों विवाद्यको को एक साथ निर्णित किया जा रहा है। वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज का गहनता से परिशीलन किया। विवादित भूमि चक 6 एएस खाता सं. 201 प.नं. 177/455 कुल 6.325है. अ.क./कमाण्ड मय खाला रामकिशन पुत्र कानाराम जाति अरोड़ा सा. अलीपुरा गैर–खातेदार दर्ज रिकार्ड जमाबंदी है। प्रदर्श–1 प्रमाणित प्रति उपायुक्त उपनिवेशन, रा.न.यो. सूरतगढ़ भूमि आवंटन पत्रावली रामकिशन पुत्र कालाराम का अवलोकन किया जिसमें संलग्न आवंटन आदेश दिनांक 20.04.1978 व अन्य दस्तावेजों में आवंटी/आवेदक का नाम रामकिशन पुत्र कालाराम ओड साकिन अलीपुरा अंकित है। प्रदर्श 2ए मृत्यु प्रमाण पत्र रामकिशन है। प्रदर्श 3ए मतदाता [illegible] रामकिशन है। प्रदर्श 4ए रिपोर्ट पटवारी अलीपुरा दिनांक 27.12.1[illegible] है जिस अनुसार रामकिशन वल्द कालाराम कौम ओड [illegible] दिया जाना उचित अंकित किया गया है। प्रदर्श 5ए [illegible] ताराचन्द पुत्र रामकिशन है। प्रदर्श 6ए परिवार राशन कार्ड रामकिशन है। [illegible]सीलदार श्रीविजयनगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार पर्चा खतौनी के उक्त रकबा रामकिशन पुत्र कानाराम जाति अरोड़ा सा. अलीपुरा पुख्ता अलाट भूमि दर्ज रिकार्ड है। पर्चा खतौनी से लेकर आदिनांक तक राजस्व रिकार्ड में रामकिशन पुत्र कानाराम जाति अरोड़ा सा. अलीपुरा गैर खातेदार दर्ज चला आ रहा है।

उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2026.01.20 18:37:47 IST
Reason: SelfAttested

5. उक्त दस्तावेजों के परिशीलन से स्पष्ट है कि आवंटन आदेश में नाम रामकिशन पुत्र कालाराम एवं जाति ओड अंकित है, जबकि पर्चा खतौनी से लेकर वर्तमान रिकार्ड में रामकिशन पुत्र कानाम जाति अरोड़ा अंकित चला आ रहा है। ऐसे में न्यायालय का यह समाधान हो गया है कि राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद में हुई त्रुटि को दुरूस्त किया जाना उचित है। वादी के द्वारा उक्त दुरूस्ती किये जाने के आदेश के साथ साथ खातेदारी अधिकारों की घोषणात्मक डिक्री चाही है, परन्तु वादी की ओर से खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है ना ही खातेदारी सनद की प्रति प्रस्तुत की गई है, ऐसे में वादी खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी नहीं है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर तनकी सं. 1 बहस वादी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

वाद पत्र राजस्व रिकार्ड में शुद्धि किये जाने की हद तक आंशिक स्वीकार किया जाना उचित है।

—: आदेश :—

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार श्रीविजयनगर को आदेश दिया जाता है कि विवादित भूमि चक 6 एएस खाता सं. 201 प.नं. 177/455 कुल 6.325है. अ.क./कमाण्ड मय खाला के काश्तकार के नाम रामकिशन पुत्र कानाराम जाति अरोड़ा सा. अलीपुरा गैर–खातेदार को दुरूस्त कर के स्थान पर रामकिशन पुत्र कालाराम जाति ओड सा. अलीपुरा गैर–खातेदार अंकित किया जावे। शेष अंकन यथावत रहेगा।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 16/1/2026 **को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्री विजयनगर

शकुन्तला
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2026.01.20 18:37:47 IST
Reason: SelfAttested